पंडित दीनदयाल उपाध्याय

श्रमेव जयते

कार्यक्रम

केंद्रीय क्षेत्र में स्व-प्रमाणन और सुगम अनुपालन हेतु श्रम सुविधा पोर्टल

- देश में औद्योगिक विकास के लिए सहायक वातावरण बनाना
- केंद्रीय परिक्षेत्र में ४ संस्थाओ : श्रमायुक्त कार्यालय, भविष्य निधि कार्यालय, राज्य कर्मचारी बीमा संगठन व खान सुरक्षा निदेशालय में प्रवर्तनशील
- ६ से ७ लाख इकाईयों को विशिष्ट श्रम पहचान संस्था (LIN) का आवंटन
- उद्योगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- उद्योगों द्वारा १६ श्रम कानूनों के लिए पोर्टल पर स्वप्रमाणित, सरलीकृत, एकल ऑनलाईन रिटर्न भरा जाएगा
- शिकायतों का पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध निस्तारण
- सभी इकाईयों का डाटा एकीकृत केंद्रीय पोर्टल पर उपलब्ध होने से नीति निर्धारकों को उसके आधार पर विश्लेषण कर नीति बनाने में भी सुविधा

केंद्रीय क्षेत्र में निरीक्षण हेतु रेंडम पद्धति से इकाइयों के चुनाव हेतु पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना

- कम्प्युटर द्वारा पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार random निरीक्षण सूची का निर्धारण
- गंभीर प्रकार के प्रकरणो की एक अनिवार्य निरीक्षण सूची
- शिकायतों के प्रकरणों को केंद्रीय स्तर पर तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण कर तदनुसार निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा
- ७२ घंटो के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट की वेब पोर्टल पर अनिवार्य अपलोडिंग
- अनुपालन व्यवस्था में स्वेच्छाचारिता पर रोक

कर्मचारी भविष्य निधि के लिए यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) के माध्यम से पोर्टेबिलिटी

- ४ करोड़ से अधिक क.भ.नि. अंशदाताओं के सम्पूर्ण डाटाबेस का डिजिटाइज़ेशन तथा प्रत्येक को यू.ए.एन. का आवंटन
- यू.ए.एन. को वित्तीय समावेशन के लिये बैंक खाते तथा आधार कार्ड और अन्य के.वाई.सी. विवरण के साथ जोड़ा जा रहा है
- यू.ए.एन. के माध्यम से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नौकरी परिवर्तन तथा भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन होने पर सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी
- कर्मचारी के क.भ.नि. खाते को मासिक आधार पर अद्यतन करना तथा उसे उसी समय एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित करना
- कर्मचारीयों को उनेक क.भ.नि. खातों तक सीधी पहुँच तथा उन्हें उनके पिछले खातों को समेकित करने में सक्षम करना

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का प्रभावी कार्यान्वयन

- ९३ % श्रमिक असंगठित क्षेत्र में
- सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच सुनिश्चित करने हेतु आरएसबीवाई का पुनर्गठन शिकायत निराकरण व्यवस्था का सुदृढीकरण
- लाभार्थियों के लिए परिणामों की निगरानी और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता और पहुँच के लिए बेहतर आईटी आर्किटेक्चर
- उन्नत आईटी फ्रेमवर्क के माध्यम से सेवा की पहुँच में सुधार लाने तथा लाभार्थीयों को प्राप्त परिणामों के अनुश्रवण की व्यवस्था
- वित्तीय समावेशन हेतु आरएसबीवाई में पंजीयन को बैंक खाता खुलवाने/स्मार्ट कार्ड से जोड़ने तथा आधार नंबर देने/स्मार्ट कार्ड में अंकित करने से जोड़ना
- पहली बार योजना के अंतर्गत प्रिवेंठिव स्वास्थ्य परीक्षण शामिल
- निर्माण क्षेत्र तथा विभिन्न कल्याणकारी सैस के अंतर्गत आनेवाले लाभार्थीयों के लिए भी योजना लागू
- एक सिंगल कार्ड तथा उन्नत आईटी के द्वारा प्रभावी कंवर्जेंस हेतु आरएसबीवाई कार्ड में आम आदमी बीमा योजना तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का विवरण भी अंकित करने की व्यवस्था

अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना

२.९ लाख की वर्तमान संख्या के मुकाबले अगले कुछ वर्षो में २० लाख से अधिक शिक्षु रखने की संकल्पना।

उद्योग तथा राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद भारत में शिक्षुता योजना में सुधार करने के लिए बड़ी पहल।

ईस पहल के चार संघटक हैं:

- उद्योग ओर युवा-दोनों के लिए कानूनी ढांचा अनुकूल बनाना। शिक्षु अधिनियम, १९६१ में संशोधन करने से संबंधित आवश्यक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत और १४.८.२०१४ को पारित किया गया
- वृत्तिका की दर बढ़ाना और ईसे अर्धकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से सूचीबद्ध करना। अधिसूचना जारी की गई
- शिक्षुओं के पहले दो वर्षो के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अदा की गई वृत्तिका के ५०% की प्रतिपूर्ति द्वारा मुख्य रुप में विनिर्माण इकाईयों ओर अन्य प्रतिष्ठनों को सहयोग देने के लिणे अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना
- मूलभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए ईसे वैज्ञानिक सिद्धांतो पर तैयार किया जा रहा है और अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों को सरकार द्वारा वित्तपोषित एसडीआई योजना में इस घटक की अनुमति देकर वित्तीय रुप से सहायता प्रदान की जानी है।
- अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना मार्च, २०१७ तक की अवधि के दौरान एक लाख शिक्षुओं को सहायता प्रदान करेगी

पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल)

- कृषि एवं विनिर्माण के पश्चात निर्माण क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका भारत में रोजगार में १०% से अधिक का योगदान है
- इसमें लगभग ४.२ करोड़ कामगार रोजगाररत है जिनका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान ६.६७% है
- ८६% कामगारों के पास कोई कौशल नहीं है ओर उत्पादकता स्तर निम्न है
- निर्माण संबंधी परियोजनाओं से एकत्र हुई उपकर निधियों का उपयोग कर उद्योग के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा "निर्माण कामगारों की पूर्व शिक्षा की मान्यता" नामक राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है
  - निर्माण स्थलों को परीक्षण केंद्रों के रुप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा
  - कौशल अंतराल, यदि कोई हो, को लगभग १५ दिनों का अंतराल प्रशिक्षण देते हुए पूरा किया जाएगा
  - प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित होने और मूल्यांकन हेतु वेतन क्षतिपूर्ति
  - एनसीवीटी प्रमाणनकी जा रही है

निर्माण कंपनियों के साथ परामर्श से एनसीवीटी द्वारा प्रमाणन से आधुनिक निर्माण तकनीकों का प्रशिक्षण

- १०० स्मार्ट शहर, २०२२ तक सभी को आवास जैसी पहलों के साथ निर्माण क्षेत्र को तीव्र दर पर विकसित करना निर्धारित है
- यह अनुमान है कि वर्ष २०२२ तक ईस क्षेत्र में लगभग ८.३ करोड़ व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा
- नई परियोजनाओं के निर्माण कार्य में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित कार्य बल की मांग है
- कई नए पाठ्यक्रम प्रारंभ कीए जा रहे हैं।

विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

- २०११ की जनगणना के अनुसार, २.६८ करोड़ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्युडीज) थे जिनमें से १.७ करोड व्यक्ति बेरोजगार है
- देश भर में २१ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों (वीआरसीज) के माध्यम से विकलांगों को व्यावसायिक पुनर्वास सहायता
- श्रमता निर्माण तथा अंतिम चरण उन्मुखीकरण के माध्यम से विकलांगों को नियोजनीय बनाने के लिए विकलांग व्यक्ति की क्षमता को प्रखर बनाने पर ध्यान देना
- भारत के कार्यबल में विविधता तथा समग्रता को बढ़ाने के लिए बेहतरीन व्यवहारों एवं नीतिगत उपायों को शामिल करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं टाटा सन्स के मध्य ज्ञान सहभागिता समझौता-ज्ञापन
- वीआरसीज के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने तथा इनके लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के लिए उद्योग के साथ संबंधों को विस्तृत एवं गहन बनाने के लिए कई प्रयास जारी हैं। कुछ संस्थान जिन्होंने वीआरसीज के साथ भागीदारी की है, उनमें राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय न्यास, ओएनजीसी जैसे पीएसयूज, डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज, यम फूड्स, बैंक ऑफ अमेरिका, सार्थक ईत्यादि शामिल हैं।
- ईन केन्द्रों में से कुछ केन्द्र विकलांगों हेतु आदर्श केरियर केन्द्रों के रुप में भी विकसित किए जा रहे हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय ब्रांड प्रतिनिधि

- हमारे कार्यबल के केवल १०% ने ही औपचारिक अथवा अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसका केवल एक चौथाई ही औपचारिक रुप से प्रशिक्षित है।
- दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी में, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कार्यबल का प्रतिशत क्रमशः ९६, ८० एवं ७५ हैं।
- यदि हमें "मेक इन इंडिया" के अपने मिशन में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें प्रमाण-पत्र स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण का तीव्रता से विस्तार करने की आवश्यकता है। हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु युवाओं को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है
- हम व्यावसायिक प्रशिक्षण ने उत्कृष्ट तकनीशियन, मेकैनिक, उद्यमी एवं पेशेवर नेतृत्वकर्ता प्रदान किए हैं। विनिर्माण क्षेत्र ईस सफलता का भंडार है व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय ब्रांड प्रतिनिधियों के रुप में एसे सफल औद्योगिक प्रशिक्षणं संस्थान स्त्रातकों को प्रदर्शित कर रहे हैं एवं उनको सम्मानित कर रहे हैं

लोचशील समझौता-ज्ञापन (फलेक्सी एमओयू)

- इस समय, उद्योग, शैक्षिक वर्ग, चैम्पियन आईटीआई एवं डीजीईएंडटी परामर्शदाताओं के प्रतिनिधियों वाली परामर्शदात्री परिषदों द्वारा कुल १२३ एनसीवीटी पाठ्यक्रम तैयार एवं विकसित किए गए हैं तथा लगभग ११,५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विशेषज्ञ पाठ्यक्रम/व्यवसाय आयोजित किए जाते है
- इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए की स्थानीय उद्योग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एनसीवीटी प्रमाणीकरण के साथ विशेष रुप से बनाए गए पाठ्यक्रम उपलब्ध हों लोचशील समझौता-ज्ञापन की नई नीति जुलाई, २०१४ में प्रारंभ की गई है
- ईस समझौता-ज्ञापन के तहत, कोई भी उद्योग कम्पनी की विशिष्ट कौशल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आईटीआई अथवा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के साथ भागीदारी से एनसीवीटी प्रमाणीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकता है
- उद्योग को न्यूनतम ८०% रोजगार सुनिश्चित करना है
- कुछ अग्रणी उद्योग जैसे फ्लिपकार्ट, रेमण्ड्स, लेबरनेट, जीआईपीसील, कैडिला ने समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा कई अन्य अंतिम रुप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

कौशल विजेता

- श्रम मंत्रालय प्रशिक्षु शिल्पकारों/शिक्षुओं में प्रतिस्पर्धात्मकता की स्वस्थ भावना पोषित करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करता है
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षुओं हेतु अखिल भारत शिल्पकार कौशल प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष मे एक बार आयोजित की जाती है
- शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) के अंतर्गत प्रवेस प्राप्त प्रशिक्षुओं हेतु अखिल भारत शिक्षु प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है
- राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं को सम्मानित करने तथा प्रथम स्मारिका प्रकाशित करने की अब तक की प्रथम पहल जिसमें जनवरी, २०१४ में आयोजित नवीनतम अखिल भारत शिल्पकार प्रतियोगिता तथा मई, २०१४ में आयोजित अखिल भारत शिक्षु प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गो के विजेताओं की सूची शामिल है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -११०००१

www.labour.gov.in